



अधिशायी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०

सीतापुर
कार्यालय ज्ञापन

1008312234

कार्यालय ज्ञापन संख्या 5903 / वि०वि० ख०द्वि० / सीपी०५ (औ)

दिनांक 10-08-2023

निजी नलकूप / पम्पसेट हेतु निम्न उपभोक्ता / उपभोक्ताओं को उनके प्रार्थना-पत्र पर दिनांक..... के आधार पर निम्नलिखित कार्य हेतु विद्युत शक्ति की स्वीकृत एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम व पता	उपार्जित धनराशि का रसीद नम्बर व दिनांक	स्वीकृत शक्ति			नलकूप लेने का स्थान	विवरण
			ह० पा०	बत्ती पंखा	विधा		
1	2	3	4	5	6	7	8
460	श्री विनोद कुमार S/o श्री राम कुमार गा. चककरपुरा पो. रसैदा ब्लाक बिस्वा सीतापुर	100/- P53763091 दि. 08-08-2023		B.H.P LMV-5		उपरोक्त	

यह स्वीकृति निम्नलिखित नियमों एवं कार्यक्रमों से प्रतिबंधित है।

- बिजली की मात्रा शोधित होने पर कुछ समय के लिए बिजली काटी जा सकती है।
- यदि उपभोक्ता स्वीकृत विधायों के अतिरिक्त किसी अन्य विधा से बिजली का उपयोग करता है तो उसका कनेक्शन बिना किसी सूचना के काट दिया जायेगा।
- रोशनी के लिए, द्यूबवेल के लिए 60 वाट के दो बल्ब जलाए जा सकते हैं।
- निजी नलकूप / पम्पिंग सेट के बिल निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। अन्यथा उपरोक्त स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।
 - निजी नलकूप / पम्पिंग सेट किसी पूर्ण निर्मित राजकीय नलकूप अथवा किसी ऐसे राजकीय नलकूप से जिसका निर्माण किया जा रहा हो 200 मीटर की दूरी के अन्दर नहीं लगाया जायेगा।
 - निजी नलकूप / पम्पिंग सेट किसी नहर से 100 मीटर से अन्दर नहीं लगाया जायेगा जैसे यमुना नहर जैसी नहरों की दशा में जहाँ पानी कम हो तो यह प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(अधिशायी अभियन्ता)

दिनांक 10-08-2023

पत्रांक 5903 / वि०वि० ख०द्वि० / सी० / स्वीकृत

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- उपखण्ड अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय विद्युत वितरण उपखण्ड खैराबाद / मिश्रिख / सिधौली।
- कम्प्यूटर वि०वि० खण्ड, सीतापुर।
- सम्बन्धित उपभोक्ता.....

(अधिशायी अभियन्ता)